न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 330/2017 (जीसीएमएस **नम्बर 2017/00209**)

1. कमला देवी पत्नी स्व. श्री पूरण मल, उम्र 40 वर्ष,
2. हेमराज पुत्र स्व. श्री पूरणमल, उम्र 20 वर्ष, समस्त जाति बलाई, निवासीयान– मेहनत नगर, मदनगंज किशनगढ, अजमेर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामेश्वर लाल पुत्र श्री घीसाराम जाति बलाई (दौराने अपील मृतक)
1/1. श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रामेश्वर लाल
1/2. अंकित वर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री रामेश्वर लाल,
1/3. प्रिया पुत्री स्वर्गीय श्री रामेवश्वर
जाति बलाई, निवासी ग्राम हिरनोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर (राजस्थान)
2. मदन लाल पुत्र बंशीलाल, जाति बलाई, निवासी ग्राम हिरनोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
3. रतनी देवी पुत्री स्वर्गीय श्री लादूराम पत्नी गुलाबचन्द निवासी ए–17/339, प्रताप नगर, लेबर कॉलोनी, भीलवाडा (राजस्थान)
4. मुन्नी देवी पुत्री स्वर्गीय श्री लादूराम पत्नी सुवालाल निवासी एम–51, संजय नगर, अजमेर रोड, जयपुर(राजस्थान)
5. चन्दा देवी पुत्री स्वर्गीय श्री लादूराम पत्नी श्री बिहारीलाल, निवासी बेगस, तहसील व जिला जयपुर। (राजस्थान)
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय–सांभरलेक जिला–जयपुर (राजस्थान)
7. ग्राम पंचायत हिरनोदा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत हिरनोदा, तहसील फुलेरा जिला–जयपुर (राजस्थान)

–रेस्पोंडेन्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू–अधिनियम 1956 आदेश विरूद्ध निर्णय तहसीलदार तहसील–फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर दिनांक 02.06.2017 प्रकरण संख्या 01/2017 उनवानी रामेश्वर लाल व अन्य बनाम रतनी देवी व अन्य में पारित आदेश लादू पुत्र देवा जाति बलाई, निवासी हिरनोदा के नाम पर ग्राम हिरनोदा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 702 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा में हिस्सा 1/4 का नामान्तरकरण मदन लाल पुत्र बंशीलाल व रामेश्वर लाल पुत्र घीसाराम बलाई के हक में खोले जाने संबंधी आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत है।

उपस्थित–

1. श्री सी.पी. बलाई,वकील अपीलान्ट ।
2. श्री घीसालाल कुमावत, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री जयप्रकाश सैनी, रेस्पोडेन्ट नं. 3 से 5 की ओर से
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 6 की ओर से।

संभागीय आयुक्त

निर्णय

दिनांक –04.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, तहसील फुलेरा, मु0 सांभर लेक (जयपुर) के निर्णय दिनांक 02.06.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा अपील संख्या 11/2016 में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2016 द्वारा ग्राम हिरनोदा के नामान्तरकरण संख्या 196 को निरस्त कर पक्षकारान की विवादित आराजी खसरा नं. 702 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम हिरनोदा की आराजी में खातेदार लादू पुत्र देवा जाति बलाई के वारिसों की जांच कर दोनों पक्षों की युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण करने संबंधी आदेश दिये गये एवं माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर की अपील संख्या 289/16 में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2016 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2016 के संदर्भ में की जाने वाली कार्यवाही में अपीलान्ट को भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज प्रस्तुत करने का एवं समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील फुलेरा मु0 सांभर लेक ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.06.2017 से यह निर्णय पारित किया गया कि लादू की विरासत में उसकी पत्नी रूकमा देवी की मृत्यु के पश्चात तीन पुत्रियों व एक पुत्र होना जाहिर है। लादू के पुत्र का नाम रूपनारायण या पूरणमल अथवा दोनों एक ही व्यक्ति होने संबंधी विवाद के संबंध में हिस्सा 1/4 का नामान्तरकरण सक्षम न्यायालय से निर्णय होने के पश्चात निर्णय अनुसार तथा शेष हिस्सा 3/4 का नामान्तरकरण तीनों पुत्रियों रतनी देवी, मुन्नी देवी व चन्दा देवी के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः लादू पुत्र देवा जाति बलाई निवासी हिरनोदा के नाम ग्राम हिरनोदा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में खातेदारी भूमि खसरा नं0 702 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा में लादू की विरासत का नामान्तरकरण रतनी देवी, मुन्नी देवी व चन्दा देवी पुत्रीया लादू हिस्सा 3/4 हि.ब. के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तथा शेष हिस्सा 1/4 वर्तमान जमाबंदी अनुसार अपीलांट मदनलाल पुत्र बंशीलाल व रामेश्वर लाल पुत्र घीसाराम बलाई सा.देह के नाम यथावत रहेगा के आदेश पारित किये गये।

3. तहसीलदार तहसील फुलेरा, मु0 सांभर लेक जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 02.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट कमला देवी पत्नी स्व. श्री पूरण मल वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार तहसील फुलेरा, मु0 सांभर लेक जिला जयपुर दिनांक 02.06.2017 निरस्त किये जाने तथा लादूराम की विरासत का हिस्सा 1/4 रामेश्वर व मदन लाल के स्थान पर कमला देवी पत्नी श्री पूरणमल व हेमराज पुत्र पूरणमल के नाम पर तस्दीक किये जाने का निवेदन किया।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि यह कि स्व. लादूराम की पत्नी रूकमा देवी जो कि अपने पति के ग्राम हिरनोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में अपने पति लादूराम पुत्र देवा की मृत्यु, दिनांक 12.10.1972 के बाद लगभग 44 वर्ष पूर्व अपनी अवयस्क तीन पुत्रियों रतनी देवी, मुन्नी देवी, चन्दा देवी एवं पुत्र पुरणमल आयु 3 वर्ष को साथ लेकर किशनगढ चली गई। उसकी अनुपस्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुये लादूराम के उक्त वर्णित पांचो वारिसों के स्थान पर अप्रार्थीगण

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रामेश्वर लाल, बंशीलाल हनुमान पुत्रान घीसा व छीतरमल पुत्र श्योकरण द्वारा तत्कालीन सरपंच से साज कर एक छदम व्यक्ति रूपनारायण जो कि अस्तित्व में ही नहीं है, के नाम फर्जी नामान्तकरण संख्या 196 दिनांक 25.10.1975 तस्दीक करवाया। बाद में उसी फर्जी नामान्तकरण के आधार पर हनुमान व छीतर के सहयोग से एक फर्जी बेचाननामा दिनांक 07.01.1989 बंशीलाल व रामेश्वर पुत्र घीसा के हक में निष्पादित करवाकर प्रार्थीगण की जमीन हड़प ली। चूंकि नामान्तकरण पंचायत द्वारा लादूराम पुत्र देवा के वारिसों की जांच किये बिना, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व काश्तकारी अधिनियम के विपरीत, विधि विरूद्ध तरीके से तस्दीक किया गया था जिसे उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.06.2016, में निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट रामेश्वर व मदन लाल द्वारा एक अपील संख्या 289/16 श्रीमान सम्भागीय आयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसमें श्रीमान द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.11.2016 में भी उक्त नामान्तकरण संख्या 196 की निरस्ती के आदेश को यथावत रखा। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट रामेश्वर व मदन लाल द्वारा उसके विरूद्ध एक पुर्नालोकन प्रार्थना पत्र संख्या 6/2017 प्रस्तुत की जिसे श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2017 को पारित निर्णय में खारिज कर दिया।

सजरा खानदान

लादूराम पुत्र स्व. श्री देवाराम बलाई

मृत्यु दिनांक 12.10.1972

रूकमा देवी (पत्नी) (फौत 14.04.96)	पुरणमल (पुत्र) (फौत, 17.12.08)	रतनी देवी (पुत्री)	मुन्नी देवी (पुत्री)	चन्दा देवी (पुत्री)

कमला देवी (पत्नी) हेमराज (पुत्र)

अपीलार्थीगण कमला देवी व हेमराज जो कि लादूराम पुत्र देवा की विरासत में लादूराम के पुत्र पूरणमल के वारिस होने से उसके स्थान पर उसकी विरासत हिस्सा 1/4 के मालिक है। उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में निम्न दस्तावेजो का अवलोकन करवाया (1) सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 29.12.2015 ग्राम पंचायत हिरनोदा (2) वारिसों की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.02.2017, हल्का पटवारी हिरनोदा, (3) जांच रिपोर्ट दिनांक 07.04.2017, हल्का गिरदावर हिरनोदा, (4) मतदाता पहचान पत्र, दिनांक 27.06.2001, पूरणमल पुत्र लादूराम, (5) मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 18.12.2008 पूरणमल पुत्र लादू, (6) मतदाता पहचान पत्र दिनांक 27.06.2001, कमला देवी पत्नी पूरणमल, (7) गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कार्ड पूरणमल पुत्र लादूराम, (8) निर्वाचित नामावली दिनांक 05.01.1998 पूरणमल पुत्र लादूराम, कमला देवी पत्नी श्री पूरणमल, रूकमा देवी पत्नी लादूराम, (9) अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज. दिनांक 10.06.2015 हेमराज पुत्र पूरणमल, (10) इकरारनामा बेचान आबादी भूमि दिनांक 03.09.1995 रूकमा देवी पत्नी लादूराम व पूरणमल पुत्र लादूराम, (11) टी.सी. स्कूल सरकारी दिनांक 16.05.1969, रतनी देवी पुत्री लादूराम, (12) टी.सी. स्कूल सरकारी दिनांक 15.05.1972, मुन्नी देवी पुत्री लादूराम, (13) अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान दिनांक 30.06.1987 चन्दा देवी पुत्री लादूराम । उक्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं उनके समर्थन में दिये गये शपथ पत्र के आधार पर लादूराम की पत्नी रूकमा देवी की मृत्यु दिनांक 14.04.1996, को हो चुकी है एवं पुत्र पूरणमल की मृत्यु दिनांक 17.12.2008 को हो चुकी है। पूरणमल के स्थान पर उसकी पत्नी कमला देवी व पुत्र हेमराज वारिस है। इस प्रकार लादूराम की विरासत में वर्तमान में निम्न वारिसान है :– 1. रतनी देवी पुत्री स्व. श्री लादूराम पत्नी गुलाब चन्द, निवासी– ए–17/339, प्रताप नगर, लेवर कॉलोनी भीलवाडा, राज. 2. मुन्नी देवी पुत्री स्व. श्री

लादूराम पत्नी सुवालाल, निवासी–एम–51, संजय नगर, अजमेर रोड, जयपुर। 3. चन्दा देवी पुत्री स्व. श्री लादूराम पत्नी श्री बिहारी लाल, निवासी– बेगस, तहसील व जिला जयपुर। 4. कमला देवी पत्नी श्री पूरण मल एवं हेमराज पुत्र स्व. श्री पूरणमल, निवासीयान निवासी– मदनगंज किशनगढ़, अजमेर हिस्सा 1/4 प्रत्येक। अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित–13 दस्तावेज जिनमें पंचायत का सजरा प्रमाण पत्र एवं हल्का पटवारी व गिरदावर की जांच रिपोर्ट भी शामिल है के अनुसार नामान्तकरण संख्या 196 दिनांक 25.10.1975 खोले जाने के समय लादूराम के वारिसों में उसकी पत्नी रूकमा देवी, एक पुत्र पुरणमल आयु 6 वर्ष व तीन अवयस्क पुत्रियां रतनी देवी, मुन्नी देवी व चन्दा देवी कुल पांच वारिस थे तथा लादू की विरासत में प्रत्येक का 1/5 हिस्से था। लेकिन दिनांक 14.04.1996 में उसकी पत्नी रूकमा देवी की मृत्यु के पश्चात लादूराम की कुल विरासत मे से उसे प्राप्त हिस्सा 1/5 उसके 4 वारिस तीन पुत्रियां रतनी देवी, मुन्नी देवी, चन्दा देवी व एक पुत्र पूरण मल में हिस्सा 1/4 प्रत्येक को प्राप्त हो गया अर्थात रूकमा देवी पत्नी लादूराम की मृत्यु दिनांक 14.04.1996 के पश्चात लादूराम की कुल विरासत में उसके चारो वारिसो का हिस्सा 1/4 प्रत्येक हो गया। तत्पश्चात दिनांक 17.12.2008 को उसके एक वारिस पुत्र पूरणमल की मृत्यु हो गई उसके पश्चात उसकी विरासत हिस्सा 1/4 के स्थान पर उसके वारिस पत्नी कमला देवी व पुत्र हेमराज हिस्सेदार, काश्तकार व खातेदार हुये। अर्थात दिनांक 17.12.2008 के बाद से लादूराम की कुल विरासत का हिस्सा 1/4 के रतनी देवी, मुन्नी देवी, चन्दा देवी प्रत्येक व 1/4 के अपीलार्थीगण कमला देवी व हेमराज संयुक्त रूप से वारिस है। अपीलार्थीगण द्वारा लादूराम के पुत्र का नाम पूरण होने के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय में 8 (आठ) दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करवाया जिनमें लादूराम के पुत्र का नाम पूरणमल ही अंकित है। जिसमें रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत बेचाननामा दिनांकित 03. 09.1995, बेचाननामा रूकमा देवी पत्नी लादूराम व पूरणमल पुत्र लादूराम भी शामिल है। रेस्पोडेन्टस द्वारा द्वारा नामान्तरण संख्या 196 दिनांकित 25.11.1975 लादूराम के पांचो वारिसों के स्थान पर एक व्यक्ति के नाम पर खुलवाया तथा लादूराम के पुत्र की आयु नामान्तकरण के समय 6 वर्ष थी और वह अवयस्क था, ऐसे मे उसके नाम पर नामान्तकरण जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता रूकमा देवी तस्दीक होना चाहिया था लेकिन रेस्पोडेन्टस ने जानबूझकर तत्कालीन सरंपच से साज कर एक छदम व्यक्ति रूपनारायण के नाम पर नामान्तकरण खुलवाया। बाद में उसी फर्जी नामान्तकरण के आधार पर दिनांक 17.01.1989 को बेचान करवाकर कृषि भूमि अपने नाम हस्तान्तरित करवाकर हड़प ली। रेस्पोडेन्टस रामेश्वर व स्व. बंशीलाल अप्रार्थीगण द्वारा तैयार फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 07.01.1989 में रूपनारायण की आयु 25 वर्ष, निवास ग्राम हिरनोदा अंकित है जबकि उस समय पूरणमल की आयु मात्र 19 वर्ष थी, निवास मदनगंज किशनगढ़ था। यदि रूपनारायण व पूरणमल एक ही व्यक्ति होते तो उनकी आयु का निवास समानता होनी चाहिए थी लेकिन उक्त दोनों में कोई समानता नहीं है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो व दस्तावेजो को नजर अंदाज करते हुये हिस्सा 1/4 रामेश्वर व मदन लाल के नाम तस्दीक किये जाने संबंधी आदेश पारित किया उससे व्यथित होकर उक्त के अलावा अपीलार्थीगण की ओर से अपील निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :– अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर मौखिक साक्ष्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट रामेश्वर व मदन लाल के हक में लादूराम की विरासत का 1/4 हिस्सा के नाम यथावत रखने का आदेश पारित किया है व जो विधि के प्राकृतिक सिद्धांतो के विपरीत होने से मोडिफाईड कर पूरण मल के वारिस कमला देवी व हेमराज के नाम तस्दीक किये जाने योग्य है। सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 29.12.2015 ग्राम पंचायत हिरनोदा द्वारा एवं हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट में लादूराम पुत्र पूरणमल स्पष्ट रूप से अंकित है। सजरा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत हिरनोदा वारिसों की जांच के संबंध में एक वैध दस्तावेज है तथा हल्का पटवारी द्वारा फौती नामान्तकरण इसी के आधार पर भरा जाता है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय को मोडिफाईड कर शेष हिस्सा 1/4 का नामान्तकरण मदन लाल व रामेश्वर के स्थान पर पूरणमल के वारिस कमला देवी व हेमराज के नाम खोले जाने संबंधी आदेश

फरमाया जावे। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा रूपनारायण व पूरणमल एक ही व्यक्ति होने संबंधी आधार गिरदावर जांच रिपोर्ट व पुलिस अनुसंधान अंतिम परिणाम को बनाया है वे दोनों ही विरोधाषी है एवं रेस्पोडेन्ट के कथन का समर्थन नहीं करते। इस आधार पर भी उक्त निर्णय दिनांक 02.06.2017 में पारित आदेश हिस्सा 1/4 मोडीफाई कर कमला देवी व हेमराज के नाम तस्दीक किये जाने योग्य है। हल्का गिरदावर द्वारा वारिसों की जांच पंचायत की बैठक दिनांक 05.04.2017 को की गई लेकिन उसमें किसी पंचायत के जन प्रतिनिधि, पंच, सरपंच सरकारी प्रतिनिधि हल्का पटवारी, ग्राम सचिव जो कि उस समय वंहा मौजूद थे उनमें से किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। इस आधार पर उक्त आदेश शेष हिस्सा 1/4 कमला देवी व हेमराज के नाम तरदीक किये जाने संबंधी आदेश प्रदान कर मोडिफाईड किये जाने योगय है। 5. यह कि गिरदावर जांच रिपोर्ट में बेचानानामा दिनांक 07.01.1989 जिसके आधार पर प्रार्थीगण की जमीन हडपी उसके गवाह हनुमान व छीतर मल के हस्ताक्षर है। जांच रिपोर्ट उन्ही के इशारे पर तैयार होने से उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। इस आधार पर उक्त आदेश मोडिफाईड किये जाने योग्य है । यह कि जांच में अप्रार्थीगण रामेश्वर व मदन लाल ने अपने शपथ पत्र के पैरा संख्या 2 में लादूराम के स्वर्गवास (दिनांक 12.10.1972) के बाद से उसके वारिस रूकमा देवी, पूरणमल, मदनगंज किशनगढ में रहने लगे थे। फर्द मौका जांच गिरदावर दिनांक 05.04.2017 के मध्य में अंकित किया है कि "लादूराम के वारिसान लगभग 40 वर्ष पूर्व ही हिरनोदा से मदनगंज किशनगढ, चले गये।" इसके बावजूद गिरदावर द्वारा जांच लादूराम के पुत्र के नाम के संबंध में उसके परिवार, रिश्तेदार एवं मदनगंज किशनगढ जहां उसका परिवार रहता है, वहां करनी चाहिए थी क्योंकि उसके नाम के संबंध में सही जानकारी वही दे सकते थे, लेकिन जांच हिरनोदा मे की गयी, जहां उसका परिवार रहता ही नहीं है। इस आधार पर भी गिरदावर की जांच विधि विरुद्ध है। इस आधार पर भी उक्त आदेश मोडिफाईड किये जाने योग्य है। फर्द मौका जांच रिपोर्ट में जिन लोगों के हस्ताक्षर है उनके सभी के नाम स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है, ना ही उनके पिता का नाम, आयु, गांव का नाम ही अंकित किया है जिससे उनकी सही पहचान हो सके, कि किन–किन लोगों से पुछताछ कर जांच रिपोर्ट तैयार की थी। लेकिन जांचकर्ता द्वारा ऐसा नहीं करने से जांच संदिग्ध है। इस आधार पर भी लादू की विरासत का हिस्सा 1/4 रामेश्वर व मदन लाल के स्थान पर कमला देवी पत्नी श्री पूरणमल व हेमराज पुत्र पूरणमल के नाम पर तस्दीक किये जाने योग्य है। फर्द मौका जांच 05.04.2017 की है जांच रिपोर्ट दिनांक 07.04.2017 को दो दिन बाद तैयार की, जो कि उसी समय तैयार होनी चाहिए थी। इस आधार पर भी जांच विश्वसनीय एवं निष्पक्ष नहीं है। इस आधार पर भी उक्त आदेश मोडिफाईड किये जाने योग्य है। इस प्रकार गिरदावर जांच रिपोर्ट उक्त वर्णित जांच रिपोर्ट जिस तरह से तैयार की गई है, उसमें भारी अनियमितताऐ बरती गई है एवं जानबूझकर कमियां छोडी गई है, जांच रिपोर्ट विश्वसनीय, निष्पक्ष एवं विधि सम्मत नहीं होने से उसके आधार पर दस्तावेजी साक्ष्यो को नजर अंदाज किया जाना विधि विरूद्ध है। पूरणमल व रूपनारायण एक ही व्यक्ति है इस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है और जो दस्तावेजी साक्ष्य बेचाननामा दिनांक 03.09.1995 में प्रस्तुत किया है उसमे भी पूरणमल पुत्र लादूराम का नाम अंकित है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा पूरणमल पुत्र लादूराम के समर्थन में सात दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है। इस प्रकार जहां किसी बिन्दू को लेकर विवाद हो तो ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनयम 1872 के अनुसार प्रथमिक दस्तावेजी साक्ष्य व उस पर आधारित जांच को ही वरीयता दी जाती है मौखिक साक्ष्य व उस पर आधारित किसी जांच रिपोर्ट व अनुसंधान परिणाम को नहीं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संदिग्ध हल्का गिरदावर रिपोर्ट व पुलिस अनुसंधान परिणाम को आधार मानकर अपीलार्थीगण कमला देवी व हेमराज का 1/4 हिस्सा रेस्पोडेन्ट रामेश्वर व मदन लाल के नाम रखे जाने का जो आदेश विधि विरुद्ध होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। लादूराम की विरासत में नामान्तकरण संख्या 196 में कुल पांच वारिस थे उसकी पत्नी रूकमा देवी, पुत्र पूरणमल तथा तीन पुत्रिया रतनी देवी, मुन्नी देवी व चन्दा देवी थी इस संबंध में अपीलार्थीगण व

रेस्पोडेन्ट के मध्य कोई विवाद नहीं होने संबंधी तथ्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके बाजवूद अपीलार्थीगण के स्थान पर लादू की कुल विरासत में हिस्सा 1/4 कमला देवी व हेमराज के स्थान पर रामेश्वर व मदन लाल के नाम पर यथावत रखा जाना विधि विरूद्ध होने से उसे दुरूस्त कर मोडिफाई किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 के अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेण्टस की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर–702 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम हिरनोदा, तहसील–फुलेरा, जिला–जयपुर (राजस्थान) में स्थित है। जिस पर रेस्पोडेण्टस अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर प्राकृतिक उपज का उपयोग–उपभोग कर लाभान्वित होते चले आ रहे है तथा लगान सरकार को अदा करते चले आ रहे है। उक्त आराजी को रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के पिता बंशीलाल पुत्र श्री घीसालाल ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07/01/1989 को रूपनारायण पुत्र श्री लादू बलाई से क्रय कर प्रतिफल राशि देकर कब्जा प्राप्त कर काबिज काश्त हुए, तब से लेकर आज दिनांक तक लगातार बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा विक्रय पत्र दिनांक 07/01/1989 के आधार पर नामान्तकरण संख्या–627, दिनांक 15/06/1989 को स्वीकार किया गया तथा जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया। उसके पश्चात् बंशीलाल का स्वर्गवास हो गया, जिसका विरासत का नामान्तकरण संख्या–7217 दिनांक 20/05/2016 खोला जाकर स्वीकार किया गया तथा बंशीलाल के वारिसान में पत्नी रामा देवी, पुत्रियां सन्तोष, मंजू, तारा, रेखा ने मदनलाल के हक में हक त्याग पत्र कर दिया। इस प्रकार अपीलान्ट्स संख्या–2 का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा। यह कि दिनांक 21/06/2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 5 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक में अपीलान्ट्स को बिना पक्षकार बनाये बिना ही विरासत नामान्तकरण संख्या–196 दिनांक 25/10/1975 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें उल्लेख किया कि रूपनारायण का नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और उक्त नामान्तकरण रूपनारायण पुत्र लादू के नाम से गलत खोला गया है, इसलिए निरस्त फरमाया जावें । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक, जिला–जयपुर ने बिना नोटिस दिये बिना बचाव व सुनवाई का अवसर दिये निर्णय दिनांक 21/06/2016 को पारित कर नामान्तकरण संख्या–196, दिनांक 25/10/1975 को निरस्त कर तहसीलदार फुलेरा, मुख्यालय–सांभरलेक, जिला– जयपुर को रिमाण्ड कर दिया, जिसके विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या–289/2016 प्रस्तुत की गयी, जिसका निर्णय दिनांक 28/11/2016 को किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार फुलेरा को प्रति प्रेषित किया गया, उक्त आदेश दिनांक 28/11/2016 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या–6/2017 प्रस्तुत किया गया, जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, फुलेरा, मुख्यालय–सांभरलेकर, जिला–जयपुर ने दस्तावेजों साक्ष्य सबूत को नजर–अन्दाज कर अवैध व अनुचित रूप से निर्णय दिनांक 02/06/2017 को पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स आरबीट्रेरी कॉन्ट्रेरी टूँ लॉ पारित कर भयंकर कानूनी गलती की है, इसलिए अधीन अपील निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार ने प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्य–सबूतों, गिरदावर की रिपोर्ट व शपथ पत्रों पर बिना ध्यान दिये ही मनमाने ढंग से अधीन अपील निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। निर्णय दिनांक 28/11/2016 के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को देने के बावजूद भी तहसीलदार ने अधीन अपील निर्णय पारित कर भयंकर कानूनी भूल की है, जो निरस्तनीय है। यह कि अपीलान्ट्स बोना फाईड परचेसर्स है तथा आराजी खसरा नम्बर–702 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम हिरनोदा, तहसील–फुलेरा, जिला–जयपुर (राजस्थान) का

सम्पूर्ण भुगतान कर अपीलांट्स के पूर्व हकधारी से जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त कर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा विकय पत्र दिनांक 07/01/1989 के आधार पर रेस्पो0 संख्या–1 व रेस्पोडेण्ट संख्या–2 के पिता के नामान्तकरण संख्या–627 दिनांक 15/06/1989 को खोला जाकर स्वीकार किया गया है तथा अपीलान्ट्स राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा मौके पर उक्त आराजी पर लगभग 28 वर्षो से काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा रेस्पो0 का कब्जा विक्रय पत्र दिनांक 07/01/1989 से है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर 28 वर्षो से किसी भी प्रकार से कोई कब्जा नहीं है इसलिए अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार के कोई हक हकूक सृजित नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान दिये बिना ही अधीन अपील निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट्स वादग्रस्त आराजी के खातेदार काबिज काश्तकार है, जिसकी खातेदारी नामान्तकरण जैसी फिसकल प्रोसिडिंग से समाप्त नहीं की जा सकती तथा नियमित वाद के द्वारा ही कार्यवाही की जा सकती है। अपीलांट के कोई अधिकार है भी तो नियमित वाद में ही तय हो सकते है। नामान्तकरण जैसी फिसकल प्रोसिंडिग से खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हो सकते, इसलिए अधीन अपील निर्णय निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी लादू पुत्र देवा ने गंगाराम बल्द नानगा से जरिए विक्रय पत्र कय की है, जिसका नामान्तकरण संख्या–63, दिनांक 11/12/1963 को खोला जाकर स्वीकार किया है। लादू पुत्र देवा का स्वर्गवास सन् 1972 में हो गया है, जिसका विरासत का नामान्तकरण संख्या–196, दिनांक 25/10/1975 को रूपनारायण पुत्र श्री लादू के नाम स्वीकार किया गया है। रूपनारायण वल्द लादू के नाम नामान्तकरण स्वीकार होने के पश्चात् रूपनारायण पुत्र लादू वादग्रस्त भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार हो गया था तथा रूपनारायण पुत्र लादू के नाम नामान्तकरण ग्राम पंचायत के मजमे आम में खोला गया है, जिसको अपीलांट ने रूपनारायण उर्फ पूरणमल के जीवनकाल में कभी भी चुन्नौती नहीं दी है। लादू के स्वर्गवास के पश्चात् रूपनारायण उर्फ पूरणमल ने मुन्नी देवी, रतनी देवी, चन्दा देवी की शादियां की जिससे उस पर भारी कर्ज हो गया था। इसलिए रूपनारायण, मुन्नी देवी, रतनी देवी, चन्दा देवी, रूकमणी पत्नी लादू ने उक्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण अकेले रूपनारायण पुत्र लादू के नाम खुलवाने की मौखिक सहमति दे दी, उसके पश्चात् कर्जा चुकाने के लिए उक्त भूमि का बेचान रेस्पो0 को कर कर्जा चुका दिया तथा ग्राम–हिरनोदा से ग्राम मदनगंज–किशनगढ़, जिला–अजमेर चले गये और वहां पर कुछ रूपयों से मकान बनाकर रहने लग गये तथा मदनगंज–किशनगढ के ही दस्तावेज राशन कार्डस पहचान पत्र, निर्वाचन कार्ड इत्यादी बनवा लिये है तथा वर्ष 2016 में अपीलांटस की नियत में खोट आ गया तथा रेस्पो0 की भूमि को हडप करने के उद्देश्य से उपखण्ड अधिकारी–सांभरलेक, जिला–जयपुर के समक्ष न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रोजडी में अपील संख्या–11/2016 प्रस्तुत कर बाला–बाला बिना रेस्पो0 को पक्षकार बनाये निर्णय पारित करवा लिया। जबकि नामान्तकरण संख्या–196, दिनांक 25/10/1975 में रतनी वगै0 पक्षकार नहीं थे, बिना धारा– 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना अपील की अनुमति लिए बिना ही अपील प्रस्तुत की गयी थी, जो कानून का उल्लंघन कर पारित किया गया तथा मियाद के बिन्दू पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। जो कानूनी बिन्दू है, जिस पर निर्णय पारित किया जाना कानूनन आवश्यक है और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने भी मियाद के बिन्दू पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है, इसलिए आदेश अधीन अपील निरस्तनीय है। अपीलांट के अगर कोई अधिकार है भी तो अपीलांट रूपनारायण उर्फ पूरण मल के वारिसान से अपने हिस्से के रूपये प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है और रूपनारायण उर्फ पूरणमल ने वादग्रस्त भूमि बेचकर कर्जा चुकाया और मदनगंज–किशनगढ में मकान बनवाया है, उसमें हिस्सा प्राप्त कर सकते है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट की जानकारी में द उनकी सहमति से बेचान की गयी है। इसलिए उनको वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में 28 वर्ष पश्चात् कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार–फुलेरा, निर्णय दिनांक मुख्यालय–सांभरलेक, जिला– जयपुर का 02/06/2017 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद विवादित आराजी खसरा नं. 702 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम हिरनोदा की आराजी में खातेदार लादू पुत्र देवा जाति बलाई के वारिसों को लेकर है। लादूराम की विरासत में नामान्तरकरण संख्या 196 दिनांक 25.10.1975 को खोले जाने के समय उसकी पत्नि रूकमा देवी 3 पुत्रियाँ रतनी देवी, मुन्नी देवी, चन्दा देवी एवं एक पुत्र कुल पांच वारिस थे। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण एवं अपीलान्ट में कोई विरोधाभास प्रतीत नही हुआ, लेकिन विरोधाभास लादू के पुत्र के नाम को लेकर है। प्रार्थीगण एवं उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लादू के पुत्र का नाम पूरणमल होना तथा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत पुलिस अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन एवं हल्का गिरदावर की जाँच के अनुसार रूपनारायण उर्फ पूरणमल बताया गया है। इस प्रकार खसरा संख्या 702 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा ग्राम हिरनोदा तहसील फुलेरा के खातेदार लादू पुत्र देवा की विरासत कुल 5 वारिस थे। जिनमें पत्नि रूकमा देवी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त तीन पुत्रियाँ व एक पुत्र कुल चार वारिस होना जाहिर है। पक्षकारान में पुत्रियों के नाम पर कोई विवाद नहीं है। परन्तु पुत्र का नाम रूपनारायण है या पूरणमल अथवा दोनो एक ही व्यक्ति होने संबंधी विवाद जाहिर हुआ है। अपीलार्थीगण कमला देवी व हेमराज जो कि लादूराम पुत्र देवा की विरासत में लादूराम के पुत्र पूरणमल के वारिस होने से उसके स्थान पर उसकी विरासत हिस्सा 1/4 के मालिक है। उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में निम्न दस्तावेजो का अवलोकन करवाया (1) सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 29.12.2015 ग्राम पंचायत हिरनोदा (2) वारिसों की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.02.2017, हल्का पटवारी हिरनोदा, (3) जांच रिपोर्ट दिनांक 07.04.2017, हल्का गिरदावर हिरनोदा, (4) मतदाता पहचान पत्र, दिनांक 27.06.2001, पूरणमल पुत्र लादूराम, (5) मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 18.12.2008 पूरणमल पुत्र लादू, (6) मतदाता पहचान पत्र दिनांक 27.06.2001, कमला देवी पत्नी पूरणमल, (7) गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कार्ड पूरणमल पुत्र लादूराम, (8) निर्वाचित नामावली दिनांक 05.01.1998 पूरणमल पुत्र लादूराम, कमला देवी पत्नी श्री पूरणमल, रूकमा देवी पत्नी लादूराम, (9) अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज. दिनांक 10.06.2015 हेमराज पुत्र पूरणमल, (10) इकरारनामा बेचान आबादी भूमि दिनांक 03.09.1995 रूकमा देवी पत्नी लादूराम व पूरणमल पुत्र लादूराम, (11) टी.सी. स्कूल सरकारी दिनांक 16.05.1969, रतनी देवी पुत्री लादूराम, (12) टी.सी. स्कूल सरकारी दिनांक 15.05.1972, मुन्नी देवी पुत्री लादूराम, (13) अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान दिनांक 30.06.1987 चन्दा देवी पुत्री लादूराम । उक्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं उनके समर्थन में दिये गये शपथ पत्र के आधार पर लादूराम की पत्नी रूकमा देवी की मृत्यु दिनांक 14.04.1996, को हो चुकी है एवं पुत्र पूरणमल की मृत्यु दिनांक 17.12.2008 को हो चुकी है। पूरणमल के स्थान पर उसकी पत्नी कमला देवी व पुत्र हेमराज वारिस है। इस प्रकार लादूराम की विरासत में वर्तमान में निम्न वारिसान है :– 1. रतनी देवी पुत्री स्व. श्री लादूराम पत्नी गुलाब चन्द, निवासी– ए–17/339, प्रताप नगर, लेवर कॉलोनी भीलवाडा, राज. 2. मुन्नी देवी पुत्री स्व. श्री लादूराम पत्नी सुवालाल, निवासी–एम–51, संजय नगर, अजमेर रोड, जयपुर। 3.चन्दा देवी पुत्री स्व. श्री लादूराम पत्नी श्री बिहारी लाल, निवासी– बेगस, तहसील व जिला जयपुर। 4. कमला देवी पत्नी श्री पूरण मल एवं हेमराज पुत्र स्व. श्री पूरणमल, निवासीयान निवासी– मदनगंज किशनगढ़, अजमेर हिस्सा 1/4 प्रत्येक अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित–13 दस्तावेज जिनमें पंचायत का सजरा प्रमाण पत्र एवं हल्का पटवारी व गिरदावर की जांच रिपोर्ट भी शामिल है के अनुसार नामान्तकरण संख्या 196 दिनांक 25.10.1975 खोले जाने के समय लादूराम के वारिसों में उसकी पत्नी रूकमा देवी, एक पुत्र पुरणमल आयु 6 वर्ष व तीन अवयस्क पुत्रियां रतनी देवी, मुन्नी देवी व चन्दा देवी कुल पांच वारिस थे तथा लादू की

संभागीय आयुक्त

विरासत में प्रत्येक का 1/5 हिस्से था। लेकिन दिनांक 14.04.1996 में उसकी पत्नी रूकमा देवी की मृत्यु के पश्चात लादूराम की कुल विरासत मे से उसे प्राप्त हिस्सा 1/5 उसके 4 वारिस तीन पुत्रियां रतनी देवी, मुन्नी देवी, चन्दा देवी व एक पुत्र पूरण मल में हिस्सा 1/4 प्रत्येक को प्राप्त हो गया अर्थात रूकमा देवी पत्नी लादूराम की मृत्यु दिनांक 14.04.1996 के पश्चात लादूराम की कुल विरासत में उसके चारो वारिसो का हिस्सा 1/4 प्रत्येक हो गया। तत्पश्चात दिनांक 17.12.2008 को उसके एक वारिस पुत्र पूरणमल की मृत्यु हो गई उसके पश्चात उसकी विरासत हिस्सा 1/4 के स्थान पर उसके वारिस पत्नी कमला देवी व पुत्र हेमराज हिस्सेदार, काश्तकार व खातेदार हुये। अर्थात दिनांक 17.12.2008 के बाद से लादूराम की कुल विरासत का हिस्सा 1/4 के रतनी देवी, मुन्नी देवी, चन्दा देवी प्रत्येक व 1/4 के अपीलार्थीगण कमला देवी व हेमराज संयुक्त रूप से वारिस है। अपीलार्थीगण द्वारा लादूराम के पुत्र का नाम पूरण होने के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय में 8 (आठ) दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करवाया जिनमें लादूराम के पुत्र का नाम पूरणमल ही अंकित है। जिसमें रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत बेचाननामा दिनांकित 03.09.1995, बेचाननामा रूकमा देवी पत्नी लादूराम व पूरणमल पुत्र लादूराम भी शामिल है। रेस्पोडेन्टस द्वारा द्वारा नामान्तरण संख्या 196 दिनांकित 25.11.1975 लादूराम के पांचो वारिसों के स्थान पर एक व्यक्ति के नाम पर खुलवाया तथा लादूराम के पुत्र की आयु नामान्तकरण के समय 6 वर्ष थी और वह अवयस्क था, ऐसे मे उसके नाम पर नामान्तकरण जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता रूकमा देवी तस्दीक होना चाहिये था, लेकिन सरंपच ने रूपनारायण के नाम पर नामान्तकरण खुलवाया। बाद में उसी फर्जी नामान्तकरण के आधार पर दिनांक 17.01.1989 को बेचान करवाकर रेस्पोडेन्ट नं. 1 के कृषि भूमि अपने नाम हस्तान्तरित करवाकर हड़प ली। रेस्पोडेन्टस रामेश्वर व स्व. बंशीलाल अप्रार्थीगण द्वारा तैयार फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 07.01.1989 में रूपनारायण की आयु 25 वर्ष, निवास ग्राम हिरनोदा अंकित है जबकि उस समय पूरणमल की आयु मात्र 19 वर्ष थी, निवास मदनगंज किशनगढ़ था। यदि रूपनारायण व पूरणमल एक ही व्यक्ति होते तो उनकी आयु का निवास समानता होनी चाहिए थी लेकिन उक्त दोनों में कोई समानता नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो व दस्तावेजो को नजर अंदाज करते हुये हिस्सा 1/4 रामेश्वर व मदन लाल के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश पारित किया गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक जिला जयपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2017 पारित करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2017 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 196 दिनांक 25.10.1995 को बहाल किया जाता है। तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक को निर्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार लादू पुत्र देवा जाति बलाई निवासी हिरनोदा के नाम ग्राम हिरनोदा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में खातेदारी भूमि खसरा नं0 702 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा में लादू की विरासत का नामान्तरकरण रतनी देवी, मुन्नी देवी व चन्दा देवी पुत्रीयां लादू एवं पूरणमल पुत्र लादू के पक्ष में दर्ज किया जावे।

(डॉ.आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर